न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

GCMS No. 2022 / 4 (Bank Case)
Manual no- 15 /2022

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय प्लॉट नं. 3, एरोड्राम सर्किल, कोटा राजस्थान– 324007 जर्ये प्राधिकृत अधिकारी अजय।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री अनुराग गौतम पुत्र श्री नन्द किशोर गौतम (ऋणी / अप्रार्थीगण)
   पता– म.नं. 783, ज्योति मंदिर के पास, दादाबाडी, कोटा–324009 (राज.)
2. श्री नन्द किशोर गौतम पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा
   पता– म.नं. 783, ज्योति मंदिर के पास, दादाबाडी, कोटा–324009 (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 30-5-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कार्यालय प्लॉट नं. 3, एरोड्राम सर्किल, कोटा राजस्थान–324007 से अप्रार्थी / ऋणी ने आवासीय ऋण खाते में रू. 21,00,000 / – (अक्षरे रूपये इक्कीस लाख मात्र) ऋण राशि दिनांक 13.12.2016 को लिया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री अनुराग गौतम पुत्र श्री नन्द किशोर गौतम की आवासीय सम्पत्ति जो फ्लेट नं. 552 (छत के बिना पांचवीं मंजिल) सुवाल्का रिद्धि सिद्धि रेजिडेन्सी जो प्लॉट नं. 1,2,3,4 राजीव गांधी नगर एक्सटेन्शन, रोड नं. 1,आईपीआईए, जिला– कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 542 वर्ग फीट है। सीमाएं– पूर्व में– फ्लेट नं. 551, पश्चिम में– फ्लेट नं. 553, उत्तर में– गलियारा, दक्षिण में– फ्रन्ट सेट बेक** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 29.05.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी उसके खाते मे 19,43,451 / – (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख तियालिस हजार चार सौ इक्यावन मात्र) बकाया रकम दिनांक 02.08.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

... ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि

पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री अनुराग गौतम पुत्र श्री** नन्द **किशोर गौतम की आवसीय सम्पत्ति जो फ्लेट नं. 552(छत के बिना पांचवीं मंजिल) सुवाल्का रिद्धि सिद्धि रेजिडेन्सी जो प्लॉट नं. 1,2,3,4 राजीव गांधी नगर एक्सटेन्शन,** रोड **नं. 1,आईपीआईए, जिला– कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 542 वर्ग फीट है। सीमाएं– पूर्व में– फ्लेट नं. 551, पश्चिम में– फ्लेट नं. 553, उत्तर में– गलियारा, दक्षिण में– फ्रन्ट सेट बेक** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 30.5.-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)